

दिनांक 01.02.2024

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियोजन की ओर से नामित अधिवक्ता श्री आशीष जदली उपस्थित। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस0 एस0 नेगी द्वारा हाजरी माफी एवं स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 43ब प्रस्तुत। सुना। न्याय हित में केवल आज के लिए स्वीकृत।

पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0/ अन्तर्गत धारा 437-ए दं0प्र0सं0 का अनुपालन करने दिनांक 08.02.2024 को पेश हो।

(मौ0 याकूब)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।